राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 582 जयपुर/2007-08

यह प्रमाणित किया जाता है कि ई. ई. एच चेरिटेबल सोसायटी जिला जयपुर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 20 माह नवम्बर सन दो हजार सात को जयपुर में किया गया।

(अशोक कुमार जोशी)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

मुद्रक: राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 ✆ 2374969 2751352 2751417

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

प्राप्ति स्थान

किशोर बुक डिपो

गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग

जयपुर-302 001

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)
तथा
संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी जिसमें कम से कम 15 आवेदक सदस्यों का होना अनिवार्य है।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा-20

9. **सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:-** इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात:-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां [1][खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखतों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

---

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्त:स्थापित किया गया।

10. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्रारूप प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।

11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 10/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।

15. शहरी क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक अथवा पार्षद के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे और ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे।

16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।

17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।

18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभत्र वाले होने चाहिये।

19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रैजूएट आवश्यक हैं।

20. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।

21. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। ''परिवार'' से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नि, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हो तथा पति की विधवा मां जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।

22. नई संस्था के आवेदन प्रपत्र केवल सोमवार/मंगलवार को ही कार्यालय समय में जमा करवाये जा सकेगें।

23. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

24. रजिस्ट्रेशन फीस सम्बन्धी अधिसूचनाएं पृष्ठ 24 पर देखे।

नोट : रजिस्ट्रार संस्थाऐं द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार संस्थाऐं के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे।

ई. ई. एण्ड चेरिटेबल .... समिति/सोसाइटी/संस्थान संस्था

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम ई. ई. एण्ड चेरिटेबल .... समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय संजय नगर कालवाड़ रोड झोटवाड़ा, जयपुर है
तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. सभी जाति, धर्म, वर्ग आदि के बच्चो को बिना भेदभाव के शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना।
2. शिक्षण, स्वास्थ्य, एवं चेरिटेबल कार्यों का संचालन करना।
3. खेलकूद, व्यायाम, एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन क
4. बच्चो की सामाजिक, मानसिक शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए स्कूल, कॉलेज व कोचिंग की व्यवस्था करना।
5. विद्वानो के प्रवचन कराना।
6. संस्था के हित में भूमि क्रय करना, भवन बनवाना, वाहन क्रय करना व चल/अचल सम्पति का लेनदेन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

7. सभी जाती, धर्म, वर्ग, आदि के अनुयायियों से चन्दा/अनुदान/सहायता प्राप्त करना।

8. विशेष योग्यता प्राप्त बच्चों को छात्रवृत्ति देना।

9. सामाजिक बुराइयों से हटकर जागृति लाना।

10. ~~संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामाजिक संस्थाओं सम्पूर्ण केन्द्र सरकार, बैंक, विविध संस्थाओं से विभिन्न~~ ×

11. ~~प्रकार की आर्थिक सहायता, दान, चन्दा आदि के द्वारा प्राप्त करना।~~

12.

13.

14.

15.

जयपुर

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथ
वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री पी. जी. वर्गीस S/o श्री एस. जार्ज	समाज सेवा	हाइवे रोड, नयागाँव पाली (राज.)	अध्यक्ष
2.	श्री सकरिया पी. जोस S/o श्री पी. वी. सकरिया	सर्विस	वार्ड नं. 27 कोटपुतली जयपुर	उपाध्यक्ष
3.	श्री जॉन मैथ्यु S/o श्री पी. आई. मैथ्यु	अध्यापन	डी. एम. हाउस, कोलवाड़ रोड कोट[illegible] जयपुर	मंत्री
4.	श्री बेबी थॉमस S/o श्री थामस जान	"	[illegible] स्कूल, टोंक (राज.)	कोषाध्यक्ष
5.	श्री थॉमस साय S/o के. सेमुअल	समाज सेवा	[illegible] स्कूल [illegible] (राज.)	संयुक्त सचिव
6.	श्री के. वी. अब्राहम S/o श्री एस. वर्गीस	"	जयपुर रोड, देवली टोंक	सदस्य
7.	श्री मथाई वी. टी. S/o श्री थॉमस	"	नेहरू कॉलोनी फालना (पाली)	"
8.	श्री ओकिल सेन S/o श्री [illegible]	"	शाहपुरा जयपुर	"
9.	श्री के. डी. शुक्ला S/o श्री महावीर प्रसाद		आदि[illegible] कोट[illegible] जयपुर	"

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.	श्री श्रवणलाल यादव S/o श्री आर.एस. यादव	सर्विस	कालवाड रोड, झोटवाड़ा जयपुर	सदस्य
11.	श्री एम.टी. मैथ्यू S/o श्री थॉमस एम.टी.	"	रावत रोड, कालवाड रोड झोटवाड़ा, जयपुर	"
12.	श्री जॉर्ज मैथ्यू S/o श्री मैथ्यू	"	चन्दा बाडी, निवारु रोड झोटवाड़ा जयपुर	"
13.	श्री शिबु जॉन S/o श्री के.वी. जॉन	"	संजय नगर झोटवाड़ा जयपुर	"
14.	आर.एस. माथुर S/o श्री रामप्रताप माथुर	सर्विस	79, कृष्णा नगर ऑफिसर्स एनक्लेव	"
15.	श्री [illegible] खान S/o श्री [illegible]	सर्विस	229, संजय नगर झोटवाड़ा जयपुर	"

जयपुर

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री पी. जी. वर्गीस S/o श्री एस. जार्ज	समाज सेवा	हाइवे रोड, नया गाँव पाली (राज)	[signature]
2.	श्री सकरिया पी. जोस S/o श्री पी. वी. सकरिया	सर्विस	वार्ड नं. 27 कोटपुतली जयपुर	[signature]
3.	श्री जॉन मैथ्यू S/o पी. आई. मैथ्यू	अध्यापक	इ. एम. हाउस, कोलवाड रोड खोरवाडा जयपुर	[signature]
4.	श्री बेबी थॉमस S/o श्री थॉमस जॉन	सर्विस	इमानुएल स्कूल रोड (राज)	[signature]
5.	श्री थॉमस साम S/o श्री के. सामुएल	"	इमानुएल स्कूल कालवाड (राज)	[signature]
6.	श्री के. वी. अब्राहम S/o श्री एम. कारिय	समाजसेवक	जयपुर रोड. देवली रोड	K. V. Abraham
7.	श्री मथाई वी. टी S/o श्री थॉमस	"	नेहरु कालोनी, फालना (पाली)	[signature]
8.	श्री ओ किल सुना S/o श्री [illegible]	"	शाहपुरा, जयपुर	[signature]
9.	श्री के. डी. शुक्ला S/o श्री महावीर प्रसाद	सर्विस	शक्ति नगर, खोरवाडा जयपुर	[signature]

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	श्री श्रवण लाल यादव S/o आर. एस. यादव	सर्विस	कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा जयपुर	[signature]
11.	श्री एम. टी. मैथ्यू S/o श्री थॉमस एम. टी.	सर्विस	शक्ति गेट, कालवाड़ रोड, जयपुर	Mathew
12.	श्री जार्ज मैथ्यू S/o श्री मैथ्यू	प्रा. सर्विस	चन्द्रा बाड़ी निवारू रोड, झोटवाड़ा जयपुर	George
13.	श्री शिबू जॉन S/o श्री के. वी. जॉन	सर्विस	संजय नगर, झोटवाड़ा जयपुर	[signature]
14.	श्री अक्षय माथुर S/o श्री रामप्रताप माथुर	सर्विस	कालवाड़ रोड झोटवाड़ा जयपुर	[signature]
15.	शमीम खान S/o लियाकत हुसैन	सर्विस	229 संजय नगर, झोटवाड़ा जयपुर	[signature]
16.	श्री वर्गीस थामस S/o श्री वर्गीस एम. टी.	"	नयापुरा, सोजत पाली	[signature]
17.	श्री एलेक्स साम S/o के सैमुअल	"	बहादुर सिंह सर्किल पुलिस लाईन के पास	[signature]
18.	श्री अगस्टिन जार्ज S/o श्री डेनियल जार्ज	"	शान्ति नगर निवाई (टोंक)	[signature]

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19	श्री कुरियन जॉन S/o श्री जॉन	व्यवसाय	गोम गोदाम के पीछे चौहटा (राज)	[signature]
20.	के. एम. थोमस S/o श्री मैथ्यू	सर्विस	शंकरपुरा कोच	[signature]
21.	श्री टी एम. जॉन S/o श्री मैथ्यू	[illegible] सेवा	पाली रोड, बाड़मेर	[signature]
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

अध्यक्ष मंत्री कोष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.				
38.				
39.				
40.				

1. संस्था का पंजियन क्रमांक 562/07-08
2. संस्था का नाम ई-ई एण्ड चेरिटेबल सोसायटी
3. किस्त ... 25
4. दस्तावेज की संख्या 16
5. दिनांक पंजियन 20-11-07
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ...

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)

Leelam Alex

1. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

Mrs Leelamma Alex
W/o Alex Sam
Line Police Road
Bureli Rajasthan

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

(साक्षी)

2. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

Ashok Kumar
Nhoom Road
Jhotwara, Jaipur

नोट : शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

ई. ई. एण्ड चेरिटेबल .... ~~समिति~~/सोसाइटी/~~संस्थान~~/~~संस्था~~

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम ई. ई. एण्ड चेरिटेबल .... ~~समिति~~/सोसाइटी/~~संस्थान~~/~~संस्था~~ है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय संजय नगर, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. सभी जाति, धर्म, वर्ग आदि के बच्चो को बिना भेदभाव शिक्षण सुविधा उपलब्ध करना।
2. शिक्षण, स्वास्थ्य, एवं चेरिटेबल कार्यो का संचालन करना।
3. खेलकूद, व्यायाम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन।
4. बच्चो की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए स्कूल, कालेज, व कोचिंग आदि की व्यवस्था करना
5. विद्वानो के प्रवचन कराना।
6. संस्था के हित मे भूमि क्रय करना, भवन बनवाना, वाहन क्रय करना व चल/अचल सम्पत्ति लेन देन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

यक्ष

कोषाध्यक्ष

7. सभी जाति, धर्म, वर्ग आदि के अनुयायियों से चन्दा, अनुदान व सहायता आदि प्राप्त करना।

8. विशेष योग्यता प्राप्त बच्चों को छात्रवृत्ति देना।

9. सामाजिक बुराईयों को दूर कर जागृति लाना।

10. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामाजिक संस्थाओं राज्य/केन्द्र सरकार, बैंक, वित्तीय संस्थानों से विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता, ऋण, चन्दा आदि के रूप में प्राप्त करना।

11.

12.

13.

14.

15.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मंत्री को

4. सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-

1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2- बालिग हों।

3- पागल, दीवालिये न हों।

4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1-संरक्षक

2-विशिष्ठ

3-सम्माननीय

4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :- उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1-संरक्षक राशि......11000/-......वार्षिक/आजन्म

2-विशिष्ठ राशि......2000/-......वार्षिक/आजन्म

3-सम्माननीय राशि......1000/-......वार्षिक

4-साधारण राशि......100/-......वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. ......आवश्यकतानुसार......
की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1-मृत्यु होने पर

2-त्याग-पत्र देने पर

3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखि आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:- संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण स निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :- साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

1-प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परि करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :-

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जा

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात नि स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा मे

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्

11. कार्यकारिणी का गठन :–

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक

3. मन्त्री-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक 5 - संयुक्त सचिव

6. सदस्य-~~सात~~ दस

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ....5.......... पदाधिकारी व ....10.......... सदस्य कुल ....15.......... सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :–

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :–

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :–

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की बैठकें :– 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्य होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सू परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं हो लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बै में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिका की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम स में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :– संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

1-अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्य

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

था का कोष :-

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

17. **कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :-** संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :-

1-अध्यक्ष 20000/- रु.

2-मंत्री 20000/- रु.

3-कोषाध्यक्ष 20000/- रु.

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 563/07-08
2. संस्था का नाम ई.ई. एण्ड चेरिटेबल सोसायटी
3. किस्म ... 40
4. दस्तावेज ... 12
5. दिनांक पंजीयन 20-11-07
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ...

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. **संस्था का अंकेक्षण :-** संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. **संस्था के विधान में परिवर्तन :-** संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. **संस्था का विघटन :-** यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. **संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :-** रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) ई.ई. एण्ड चेरिटेबल सोसायटी समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 19 के तहत
यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था ...
1. ...
2. ...
वाले के हस्ताक्षर ...

20

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

20-11-07

रजिस्ट्रार संस्थाऐं
जयपुर

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाऐं प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।

2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।

4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद पूर्व में संशोधन हेतु बुलायी गयी विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।

5. द्वितीय विशेष साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।

6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।

7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र

   हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।

10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

Reg.No.562/Jaipur/2007-08 Mobile-9414048991

E. E. & Charitable Society

Sanjay Nagar, Kalwar Road, Jhotwara, Jaipur-302012

Ref.No………… Dated…………

तुलनात्मक संशोधित विधान

क्र.सं.	विधान की धारा	धारा का शीर्षक	पूर्व में रजिस्टर्ड विधान में उल्लेख	संशोधित विद्यान में उल्लेख
1	3	संस्था के उद्देश्य	पूर्व रजिस्टर्ड विद्यान में 1.सभी जाति, धर्म, वर्ग आदि के बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना। 2.शिक्षण, स्वास्थ्य एवं चेरिटेबल कार्यो का संचालन करना। 3.खेलकूद व्यायाम, एवं सांस्कृतिक कार्यकृमों का आयोजन करना। 4.बच्चो की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक एवं बोद्धिक विकास के लिए स्कूल, कालेज, व कोचिंग की व्यवस्था करना। 5.विद्वानो के प्रवचन कराना। 6.संस्था के हित में भूमि क्रय करना, भवन बनवाना,वाहन क्रय करना व चल अचल सम्पतियों का लेनदेन करना। 7. सभी जाति, धर्म, वर्ग आदि के अनुयायिओं से चन्दा/ अनुदान/ सहायता	पूर्व के रजिस्टर्ड विद्यान में क्र.सं. 1 से 08 तक यथावत एवं इसके बाद अतिरिक्त वृद्धिः- 9.ईसाई जाति के उत्थान और प्रगति के लिए एक अल्पसंख्यक संस्था के रूप में सारी जिम्मेदारियां निभाना। 10.विद्यार्थियो को उच्च स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक संस्थाऐ जैसे स्कूल कालेज व प्रशिक्षण केन्द्र खोलना एवं सभी जाति धर्म, वर्ग आदि के बच्चो को बिना भेदभाव शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। 11.विधार्थियों को मानवीय मूल्यों की शिक्षा, आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान ईसाई सिद्धान्तो के आधार पर मार्गदर्शन करना। 12.छात्रो की सुविधा के लिए हॉस्टल चलाना व कोचिंग सेन्टर खोलना। 13.योग्य छात्रो को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कार, मेडल, प्रमाण पत्र, एवं वित्तिय सहायता देना। 14.खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन ईसाई छात्रों को सम्मानित और पुरस्कृत करना। 15.विधार्थियो को मुख्यतः ईसाई अल्पसंख्यक छात्रो को उच्च शिक्षा के

			प्रात करना। 8.सामाजिक बुराइयो को दूर कर जागृति लाना।	लिए प्रोत्साहित करना और योग्य प्रार्थियो को छात्रवृति देना। 16.प्राकृतिक आपदाओ में पीडित की सहायतार्थ दान लेना और गरीबो, असहाय और जरूरतमंदो को आर्थिक सहायता देना। 17.सामाजिक बुराईयो के उन्मुलन के लिए जागृति लाना और संस्था के उद्देश्यो के अनुरूप बाइबल सेमिनार ओर और कान्वेशनो की व्यवस्था करना। आध्यात्मिक और प्रार्थना सभाओं का आयोजन करना।

नोट :—यह संस्था एवं इस संस्था द्वारा संचालित किये जाने वाले शैक्षणिक संस्थान विशेषकर ईसाई अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों एवं विद्यार्थियों के लाभ एवं उत्थान के लिए कार्य करेगी ।

उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति मे कोई लाभ निहित नही है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह दस्तावेज ... विषय में दाखिल कराये ... पृष्ठ सं. ... पृष्ठ सं. ... की सत्यप्रति है। 23.12.13
1 नकल देने की दिनांक
2 नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार संस्थाऐं जयपुर

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

E E AND CHARITABLE SOCIETY
Kalwar Road, Jhotwara, Jaipur-302012 Rajasthan
Ph 0141- 2340312, 2340551, 2340556

30/8/15

:: तुलनात्मक विवरण ::

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	वर्तमान विधान का नियम	संशोधित विधान का नियम
1.	16	सोसाइटी के विधान की मद सं. 16 संस्था का कोष: 1- चन्दा 2- शुल्क 3- अनुदान 4- सहायता 5- राजकीय अनुदान 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित/रखी जायेगी। 2- अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा। रहा है।	सोसाईटी के विधान की मद संख्या-16 में निम्न प्रकार से बढोत्तरी की है- 6- समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से वित्तीय अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना एवं समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं को वित्तीय अनुदान एवं ऋण देना। 7- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं केन्द्र/राज्य सरकारों एवं समान स्तर की अन्य संस्थाओं से आर्थिक सहायता, ऋण आदि प्राप्त कर संस्था का विकास करना रहेगा।

1 नकल देने की दिनांक 29.10.15
2 नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर [signature]

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

E E AND CHARITABLE SOCIETY

Kalwar Road, Jhotwara, Jaipur-302012 Rajasthan
Ph 0141- 2340312, 2340551, 2340556
E-mail : eecs@emmanuelschool.in, eecsjaipur@gmail.com

दिनाँक 28-12-2020 को वार्षिक आम सभा में निर्वाचित नवीन प्रबन्ध कारिणी की सूचीः-

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1	पी.जी.वर्गीस	एस. जॉर्ज	इम्मानुअल मिशन स्कूल, हाईवे रोड, नया गांव, पाली, राजस्थान	अध्यक्ष
2	थॉमस साम	के.सेमुअल	इम्मानुअल मिशन स्कूल, झालावाड़, राजस्थान	उपाध्यक्ष
3	जॉन मैथ्यू	पी.आई.मथाई	इम्मानुअल मिशन स्कूल, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, राजस्थान	सचिव
4	के.वी.अब्राहम	एस.वर्गीस	इम्मानुअल मिशन स्कूल, देवली, टोंक,राजस्थान	संयुक्त सचिव
5	जकारिया पी.जोस	पी.वी.जकारिया	इम्मानुअल मिशन स्कूल, कोटपूतली, जयपुर, राजस्थान	कोषाध्यक्ष
6	एलेक्स साम	के.सेमुअल	इम्मानुअल मिशन स्कूल, बूंदी, राजस्थान	एडमिनिस्ट्रेटर
7	वीर सिंह	सी.बी.सिंह	इम्मानुअल मिशन स्कूल, ब्यावर अजमेर, राजस्थान	संयोजक
8	ओखिल सुना	मि.सुना	इम्मानुअल मिशन स्कूल, शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान	सदस्य
9	बेबी थॉमस	थॉमस जॉन	इम्मानुअल मिशन स्कूल, टोंक, राजस्थान	सदस्य
10	आगस्टिन जॉर्ज	आदिल जॉर्ज	इम्मानुअल मिशन स्कूल, निवाई, टोंक, राजस्थान	सदस्य
11	बिचित्र सुना	सुदुमन सुना	इम्मानुअल मिशन स्कूल, केकड़ी, अजमेर,राजस्थान	सदस्य
12	जॉर्ज मैथ्यू	मि.मैथ्यू	27, चन्दाबाड़ी, निवारू रोड झोटवाड़ा, जयपुर	सदस्य
13	कुरियन जॉन	मि.मैथ्यू	इम्मानुअल मिशन स्कूल, दौसा, राजस्थान	सदस्य
14	शिबू जॉन	के.वी.जॉन	इम्मानुअल मिशन स्कूल, 365, संजयनगर बी, कालवाड़ रोड, जयपुर	सदस्य
15	साजू पी. जोसेफ	पी.एम.जोसेफ	इम्मानुअल मिशन स्कूल, जोधपुर, राजस्थान	सदस्य
16	जॉन थॉमस	ओ.थॉमस	इम्मानुअल मिशन स्कूल, धौलपुर, राजस्थान	सदस्य
17	टी.एम.जॉन	मि.मथाई	इम्मानुअल मिशन स्कूल, बाड़मेर, राजस्थान	सदस्य

आवेदक श्री .... दिनांक .... को प्रस्तुत आवेदन पत्र/दस्तावेज के आधार पर इस कार्यालय में पंजीकृत संस्था .... E. E. and Charitable .... रजि.नं. .... 562/2007-08 .... के दस्तावेज / .... राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा-19 के अंतर्गत जारी की .... (Governing Body) की .... का अनुमोदन नहीं माना जाये।

दिनांकः 19-3-2022
हस्ताक्षरः

हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार (संस्थाएँ),
जयपुर

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष